न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 43/2022

अनवान : –

1. संजय पुत्र राजेश कुमार जाति छीपा निवासी झांसल त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1. सरबती पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :–श्री धर्मपाल बैरवाल प्रार्थी
श्री सतवीर बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 25-01-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 जेएसएल के खाता सं0 161/31 के मु0न0 31 के किला न0 13/2, 17/3, 24/4 की कुल 0.3790है0 नहरी कृषि भूमि प्रार्थी संजय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चिपते ही अप्रार्थीया सरबती के नाम इस चक के खाता सं0 31/127 के मु0न0 31 के किला न0 12/2, 13/1, 18, 23/5 की 0.3925है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए अप्रार्थीया की कृषि भूमि चक 1 जेएसएल के मु0न0 31 के किला न0 18 में पूर्व की तरफ दक्षिण से उतर की ओ अपनी कृषि भूमि के किला न0 13/2 में प्रवेश करता था। प्रार्थी सदामत से ही अपनी कृषि भूमि में उपरोक्तानुसार ही आवागमन कर रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में आज तक अंकन नही हुआ है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत कराने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के लिए अन्य कोई वैकल्पिक

रास्ता नहीं है। मुताबिक राजीनामा उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन है जिस पर वकील अप्रार्थी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 1 जेएसएल के मु0न0 31 के किला न0 18 में पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए निवेदन किया है। जिसके लिए अप्रार्थी सं0 1 ने राजीनामा पेश कर सहमती प्रकट की है। उक्त रास्ता के बदले पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का लेनदेन ना होना और रास्ता की एवज में भूमि लेना स्वीकार नहीं किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 1 जेएसएल के मु0न0 31 के किला न0 18 में पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 25-01-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़